प्रकरण संख्या : 4/2024
कमला वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 12.06.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	4/2024
दायर दिनांक	:	22.02.2024
निर्णय दिनांक	:	12.06.2024

1. कमला पुत्री प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
2. बाबूलाल पुत्र प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
3. मूलचन्द पुत्र प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
4. रुकमणी पुत्री प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
5. राधाकिशन पुत्र प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा
6. रामफूल पुत्र प्रभू जाति मीना, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं तहसीलदार दौसा को सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के फलस्वरूप पक्षकार बनाया गया है। ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा में खाता संख्या 135 नया व 127 पुराना की आराजी खसरा नम्बर 642 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 643 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 646 रकबा 0.1100 है., खसरा नम्बर 657 रकबा 0.0800 है., खसरा नम्बर 658 रकबा 0.0500 है., खसरा नम्बर 659 रकबा 0.1200 है., खसरा नम्बर 660 रकबा 0.7200 है., खसरा नम्बर 661 रकबा 0.5200 है., खसरा नम्बर 662 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 663 रकबा 0.0200 है., खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9600 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.6900 है. स्थित है तथा ग्राम जीरोता कलां में ही खाता संख्या 133 नया पुराना 125 की आराजी खसरा नम्बर 589 रकबा 0.8700 है. स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं एवं प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं जिससे अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई संबंध ताल्लुक नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुई पडौसी खातेदारान की उक्त दूसरी भूमि है, जो अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहते हैं जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं तथा येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण की भूमि को हडप करने की फिराक में रहता है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाये जाने का प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार दौसा के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 02.11.2023 की पालना में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:41:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)

14.12.2023 को हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर ग्राम जीरोता कलां के खसरा नम्बर 659 व 589 का सीमाज्ञान किया व उक्त आराजी की सीमाएँ कायम कर चारों सीमाओं की जानकारी करवाई गयी व मौका पर्चा तैयार कर वहाँ उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये किन्तु इसके बावजूद भी पडौसी खातेदारान उक्त करवाये गये सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा वे आये दिन सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की भूमि को दबाने की फिराक में रहते हैं। यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी की पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो मौके पर शांति भंग होकर भारी झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश फरमावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 659 व 589 वाके ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान के अनुसार भूमि की पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जीरोता कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 659 व 589 मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 659 व 589 का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से सम्पर्क कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु जरिये पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:41:55 IST
Reason: Self Attested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज०)